

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी / समन्वयक, जिला स्वास्थ्य समिति,  
कुशीनगर, मिजापुर, वाराणसी, चन्दौली, जालौन, महोबा, फतेहपुर, एवं हमीरपुर,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—एस०पी०एम०य०० / एन०आर०एच०एम० / विधि / २०१३ — ४

दिनांक ०७ .11.2012

विषय—: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में विभिन्न कार्यकर्ताओं हेतु संविदा पर आट्रोमेट्रिस्ट की  
तैनाती के सम्बन्ध में।

महादोय,

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अन्तर्गत Writ Petition NO 4713 of 2012 (S/S), Prabhat Ranjan  
Pathak & 14 Others V's U.O.I. में दिनांक 06/09/2012 को निम्नानुसार आदेश दिया गया है।

“In the meantime, as an interim measure, it is hereby provided that the opposite party no. 3 shall take a decision with respect to renewal of service contract of petitioners and in case there is no adverse material against petitioners, they shall be allowed to continue on the post of Optometrist.”

Till the said decision is taken, the opposite parties shall not proceed with respect to fresh recruitment on the post in question.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु आर्शीवाद–बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के अन्तर्गत संविदा आट्रोमेट्रिस्ट की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जानी है। इस क्रम में पत्र संख्या एस०पी०एम०य०० / बी०एस०जी०वाई०१८ / २०१२–१३ / १५९८ –२ दिनांक 05/10/12 द्वारा समायोजन के सम्बन्ध में सुस्पष्ट निर्देश दिये गये हैं (पृष्ठ-२ प्रस्तार-३)। पुनः निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

०७.११.१२  
(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक,

पत्रांक—एस०पी०एम०य०० / एन०आर०एच०एम० / विधि /

दिनांक .11.2012

प्रतिलिपि—: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य०० लखनऊ उ०प्र०।
8. वित नियंत्रक, एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य०० लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०।

(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक,